vinetur

बारामती संयंत्र में United Spirits की रम पर भारतीय खाद्य नियामक ने आदेश वापस लिया

यह वापसी McDowell's No. 1 Celebration Matured XXX Rum तक सीमित है, लेकिन फ्लेवरिंग और लेबल को लेकर व्यापक विवाद अब भी अनसुलझे हैं।

गुरुवार, 20 अगस्त 2026



भारत के खाद्य सुरक्षा नियामक ने महाराष्ट्र के बारामती स्थित अपने संयंत्र में United Spirits द्वारा बनाई गई एक रम की बिक्री को प्रभावित करने वाला एक आदेश वापस ले लिया है, जिससे लेबलिंग और फ्लेवर के उपयोग को लेकर जारी विवाद में Diageo-नियंत्रित कंपनी को सीमित नियामकीय राहत मिली है।

United Spirits ने बुधवार को एक नियामकीय फाइलिंग में कहा कि भारत के खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, या FSSAI, ने 17 अगस्त की तारीख वाला एक आदेश जारी कर 29 जून की अपनी पिछली कार्रवाई को रद्द कर दिया, जहां तक वह बारामती इकाई में निर्मित एक उत्पाद पर लागू होती थी। कंपनी ने कहा कि उसे यह रद्दीकरण आदेश 18 अगस्त को स्थानीय समयानुसार लगभग 12:40 बजे मिला।

कंपनी की फाइलिंग और नियामक के पहले के बयानों के अनुसार, इस वापसी के दायरे में आने वाला उत्पाद McDowell's No. 1 Celebration Matured XXX Rum है। कंपनी ने बिक्री, उत्पादन या भंडार पर किसी प्रभाव का खुलासा नहीं किया, और यह रद्दीकरण केवल उसी उत्पाद और उसी संयंत्र पर लागू होता है।

यह कदम एक व्यापक नियामकीय मुद्दे को संकुचित करता है, लेकिन खत्म नहीं करता, जिसने भारत में कई शराब निर्माताओं को घेर लिया है। 29 जून को FSSAI ने United Spirits, Associated Alcohols and Breweries Ltd. और INBREW Beverages द्वारा संचालित कई विनिर्माण इकाइयों को नोटिस जारी किए। नियामक ने जोड़े गए फ्लेवर के उपयोग पर चिंता जताई, जो उसके विचार में मानकीकृत मादक पेयों की प्राकृतिक प्रोफ़ाइल की नकल करते हैं।

United Spirits ने 1 अगस्त को दायर एक रिट याचिका के जरिए 29 जून के आदेश को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी। कंपनी ने तर्क दिया कि नियामक द्वारा उद्धृत उत्पाद लेबल भारत की कानूनी और नियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप थे और दीर्घकालिक उद्योग प्रथा के साथ मेल खाते थे।

अपनी ताज़ा फाइलिंग में, United Spirits ने कहा कि यह रद्दीकरण नियामक के साथ हुई बातचीत के बाद आया। कंपनी ने यह भी कहा कि उसकी सार्वजनिक सूचना में देरी इसलिए हुई क्योंकि उसे कई आंतरिक हितधारकों के साथ तथ्यों और जानकारियों की पुष्टि के लिए अधिक समय चाहिए था।

यह विवाद इस पर केंद्रित रहा है कि मादक पेयों का वर्णन कैसे किया जाता है और क्या भारत के खाद्य नियमों के तहत कुछ फ्लेवरिंग प्रथाएँ अनुमत हैं। 10 जुलाई को FSSAI ने कहा कि उसने शराब निर्माताओं को कथित रूप से बिना अनुमति जोड़े गए फ्लेवरों के उपयोग और आयु-संबंधी दावों से जुड़े गैर-अनुपालन के लिए नोटिस जारी किए थे। बाद में नियामक ने स्पष्ट किया कि वह सामान्य रूप से फ्लेवरिंग पदार्थों पर प्रतिबंध नहीं लगा रहा है। इसके बजाय, उसने कहा कि उसकी चिंता ऐसे फ्लेवरों को जोड़ने पर है जो रम में रम या व्हिस्की में व्हिस्की जैसी उत्पादों की प्राकृतिक प्रोफ़ाइल को दोहराते या उसकी नकल करते हैं।

यह स्पष्टीकरण उद्योग की प्रतिक्रिया का एक अहम हिस्सा बन गया, क्योंकि कंपनियों का तर्क था कि नियामक के पहले के संचार ने पहले से बाजार में मौजूद उत्पादों के लिए अनिश्चितता पैदा कर दी थी। विशेष रूप से United Spirits ने कहा कि प्रभावित उत्पादों पर लेबलिंग घोषणाएँ पूरी तरह अनुपालक थीं।

बारामती स्थित इकाई को FSSAI ने पहले अपने बयानों में विशेष रूप से चिन्हित किया था। यह संयंत्र McDowell's No. 1 Rum का निर्माण करता है। नियामक ने मध्य प्रदेश में United Spirits की एक इकाई का भी नाम लिया था, जो Antiquity Blue Whisky और Royal Challenge Whisky बनाती है, साथ ही INBREW Beverages और Associated Alcohols and Breweries से जुड़ी इकाइयों का भी।

संबंधित मामले व्यापक पृष्ठभूमि का हिस्सा बने हुए हैं। 6 अगस्त को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने Associated Alcohols and Breweries के खिलाफ FSSAI के आदेश पर रोक लगा दी, एक ऐसे मामले में जिसमें आरोप था कि किसी उत्पाद की प्राकृतिक प्रोफ़ाइल की नकल करने के लिए फ्लेवर जोड़े गए थे। FSSAI ने INBREW के उत्पादों में Bagpiper Deluxe Whisky और Old Cask Deluxe XXX Rum, साथ ही Central Province Whisky और कुछ इकाइयों में McDowell's No. 1 Celebration Matured XXX Rum का कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी चिन्हित किया था।

United Spirits भारत की सबसे बड़ी स्पिरिट्स निर्माता है और Britain's Diageo के नियंत्रण में है। इसके बड़े राष्ट्रीय ब्रांडों से जुड़ी कोई भी नियामकीय कार्रवाई पेय उद्योग, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं द्वारा बारीकी से देखी जाती है।

इसके बावजूद, कंपनी की ताज़ा फाइलिंग से संकेत मिलता है कि तत्काल राहत सीमित है। यह एक आदेश, एक उत्पाद और एक विनिर्माण स्थान तक सीमित है, न कि नियामक के अभियान से उठे व्यापक सवालों तक।

यह मामला यह भी दिखाता है कि भारत का अल्कोहल क्षेत्र कड़ी निगरानी का सामना कर रहा है, तो अदालतें और कंपनी-नियामक के सीधे संवाद किस तरह भूमिका निभा रहे हैं। कंपनियाँ उन नोटिसों को चुनौती देने या स्पष्टीकरण मांगने के लिए तेजी से आगे आई हैं, जिनके बारे में उनका कहना है कि वे लंबे समय से चली आ रही उत्पाद-वर्णन और फॉर्म्युलेशन प्रथाओं को बाधित कर सकते हैं। नियामकों ने, अपनी ओर से, यह ज़ोर दिया है कि मुद्दा फ्लेवरिंग पदार्थों के सामान्य उपयोग का नहीं है, बल्कि यह है कि क्या ये योजक किसी उत्पाद की अंतर्निहित प्रकृति का ऐसा प्रभाव पैदा करते हैं जो खाद्य मानकों के अनुरूप न हो।

फिलहाल, United Spirits ने McDowell's No. 1 Celebration Matured XXX Rum से जुड़े बारामती आदेश पर वापसी हासिल कर ली है। इससे आगे, कंपनी ने यह नहीं बताया है कि क्या उसे अन्य मामलों में अतिरिक्त नियामकीय राहत की उम्मीद है, या क्या यह रद्दीकरण बॉम्बे हाई कोर्ट में उसकी कानूनी रणनीति को बदलेगा।